न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 148/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1. मुबीन खान पुत्र सेफल
2. सेफल पुत्र दूरा
जाति सिन्धी मुसलमान,
निवासी कोनरा, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – श्री शाकर खान एच

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 16.01.2023

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा सं. 692/249 रकबा 08.9031 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण का मौके पर अपनी पुरानी तरमीम अनुसार कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां भी अपनी पुरानी सही तरमीम अनुसार बनी हुई है। जिसमें प्रार्थीगण निवास करते है। प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कुआ भी खुदा हुआ है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों ने पुराना रेकर्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त नजरन्दाज कर प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये गलत तरमीम कर दी है। जिससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व तरमीम में अ[illegible] प्रार्थीगण दुरस्त करवाना चाहता है , इस हेतु आवेदन पेश कर [illegible] ।

प्रार्थीगण का आवेदन [illegible] प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनके नोटिस बाद ताम[illegible] प्राप्त हुए। वकील [illegible] की ओर से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया । जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

स्वीकार तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का खेत खसरा सं. 692/249 की वर्तमान तरमीम प्रपत्र 'ब' अनुसार है। उसी अनुसार प्रार्थीगण काबिज है। जबकि नक्शा लट्ठा व आनलाईन रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की तरमीम प्रपत्र 'अ' अनुसार की गई जो गलत है। प्रपत्र 'ब' अनुसार तरमीम सही है। प्रपत्र 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधिनियम का स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा सं. 692/249 रकबा 08.9031 हैक्टेयर की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा के प्रपत्र 'ब' अनुसार दुरस्त की जाती है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रपत्र हेतु

मौजा:- खुरदा मीणान
प्रपत्र "ब"
पटवार खुरदा मीणान

मौके पर जोत के कब्जे बाबत अनुमानित नक्शा बनाया गया मौका नक्शा, जोकि खातेदार एवं पड़ोसियों द्वारा बनाया गया।

Scale 1 इन्च = 80 गज

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

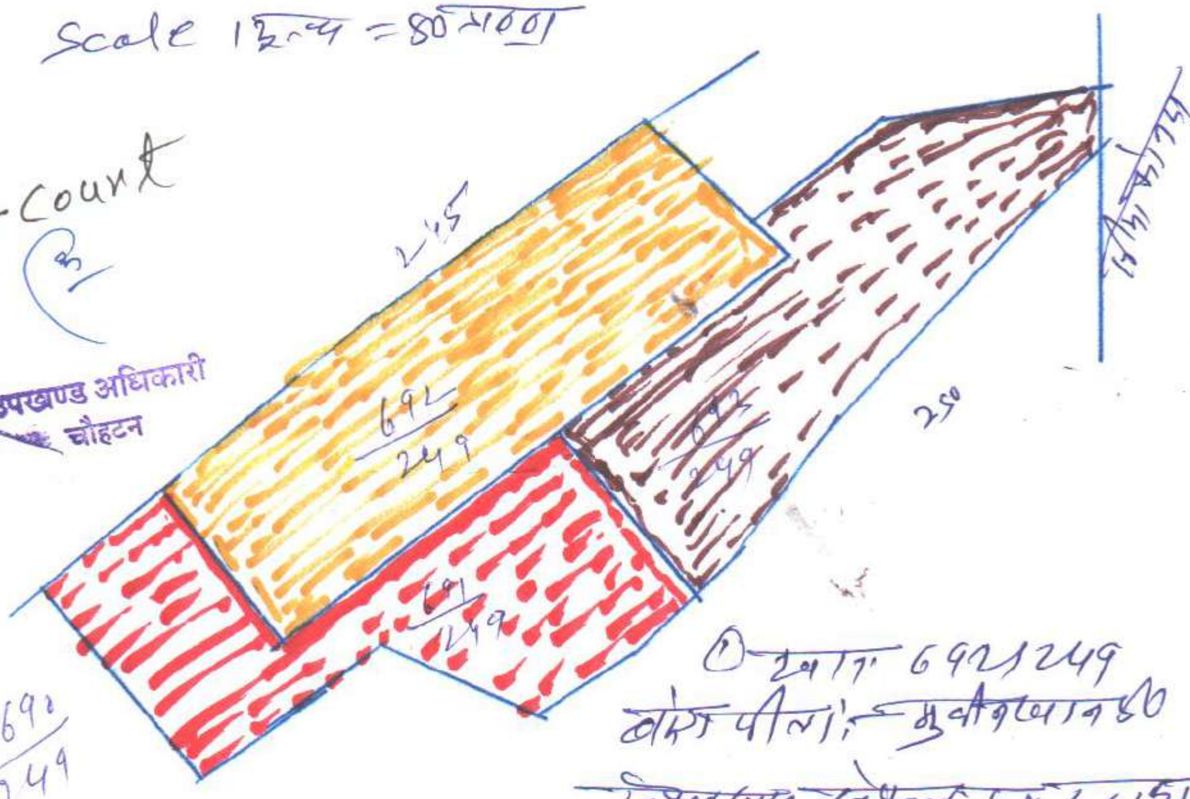

691/249

① खाता 692/249
कोरा पीला:- मुबीन खान
जेकमल खान पेफल खान [illegible]
मलकियत कब्जा = 8.9031 हे०

② खाता 693/249
कोरा पदरी खेरदीन मजना [illegible]
मलकियत कब्जा = 7.2843 हे०

③ लाल रंग खाता 691/249
[illegible] कादर खान
मलकियत कब्जा 6.9606 हे०

सही

इसी हिसाब से अनुमानित बटवारा किया जाना उचित है।

खुरदा मीणान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सोमेन्दा निष्कासी प्रदा (ग्राम)
मुबीन खान
प्रतिनिधि
(पार्टी)
हकीम खान पुत्र [illegible]
हाकम खान
हाकम खान [illegible]
नवाब खान
[illegible] प्रतिनिधि [illegible]
कामली प्रतिनिधि कोमला

तहसीलदार चौहटन